समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कल कोरोना की तरह कल डेंगू अ भयान में सभी जुट जायें-श्री झारिया
घर-घर कया जाये सर्वेए साफ पानी कहीं भी एकत्रित ना हो

रतलाम 10 सतम्बर । डेंगू की रोकथाम हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व डयो कान्फ्रेंस में दिये निर्देश के तहत त्वरित कार्यवाही कये जाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जिला मलेरिया अ धकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापति के साथ निगम अ धकारीए स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारियों की बैठक लेकर डेंगू के प्रति नागरिकों को जागरूक कये जाने तथा डेंगू के लार्वा को नष्ट कये जाने हेतु घर-घर सर्वे कये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में बताया क डेंगू के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा हैए जिस प्रकार कल कोरोना अ भयान के तहत कोरोना पर काबू पाया था ठीक इसी प्रकार से हमें कल डेंगू अ भयान चलाकर डेंगू पर काबू पाना है। उन्होने निगम के स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारी व वार्ड प्रभारियों को निर्दे शत कया क डेंगू के प्रति नागरिकों को जागरूक कये जाने के साथ ही घर-घर जाकर सर्वे कया जाये व लार्वा पाया जाने पर संब धतों पर जुर्माने की कार्यवाही के साथ ही मलेरिया वभाग से संपर्क कर लार्वा को नष्ट कये जाने की कार्यवाही की जाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क डेंगू का लार्वा साफ रूके हुए पानी में पनपता है इस हेतु कहीं भी 5 दिन से अ धक समय का पानी रूका हुआ नहीं होना चाहिये यदि कहीं पानी रूका है तो उसमें जला हुआ आईल डाला जाये जिससे डेंगू के लार्वा नष्ट हो सकें। उन्होने यह भी निर्दे शत कया क घरो-दुकानों मंे कहीं भी मटकेए ड्रमए टायरए टब इत्यादि में पानी एकत्रित ना हो इसका सर्वे कया जाये।

जिला मलेरिया अ धकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापति ने इस अवसर पर बताया क डेंगू ए डस मच्छर के काटने से होता है व साफ रूके हुए पानी

में पनपता है इस हेतु कसी भी स्थान या वस्तु में साफ रूका हुआ पानी ना हो इसकी सुनिश्चितता की जाये तभी डेंगू पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होने बताया क डेंगू का मच्छर 400 मीटर के दायरे में डेंगू की बीमारी फैला सकता है यह मच्छर दिन के समय काटता है। इस अवसर पर उन्होने डेंगू बीमारी के लक्षणए डेंगू की रोकथाम इत्यादि के बारे में वस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

नगर निगम व मलेरिया वभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे मच्छर जनित डेंगूए मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपासए गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी निय मत रूप से बदलेए पानी की टं कयां े को खुला ना छोड़ेंए खुले मटकेए ड्रमए टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहांए नाले-ना लयों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री बी.एल. चौधरीए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहरा सहित सभी वार्ड दरोगा उपस्थि थे।

नेषनल लोक अदालत का आज 11 सतम्बर षनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया रा श जमा करने पर अ धभार (सरचार्ज) की रा श में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया रा श

रतलाम 10 सतम्बर । राष्ट्रीय व धक सेवा प्रा धकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अ धभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज 11 सतम्बर 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया रा श जमा कराने हेतु नगर निगम

कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में श वर का आयोजन कार्यालयीन समय में कया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 10ए000ध् से अ धक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अ धभार की रा श रूपये 50ए000ध् से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वत्तीय वर्ष 2020.21 तक की बकाया रा श पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 11ध्09ध्2021 की नेशनल लोक अदालत के लये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है क 11 सतम्बर 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित श वर में उपस्थित होकर बकाया रा श जमा कराकर दी जा रही अ धभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

रचना हाउ संग कॉलोनी में कॉलोनाईजर द्वारा कये गये वकास कार्यो
का प्राक्कलन 15 सतम्बर तक प्रस्तुत करें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वभाग प्रमुखों को दिये निर्देश

रतलाम 10 सतम्बर। भक्तन की बावड़ी महू रोड बस स्टैण्ड के पास रचना हाउ संग कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा पूर्ण कये गये शेष वकास कार्यो का प्राक्कलन 15 सतम्बर तक प्रस्तुत कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संब धतों को निर्दे शत कया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आदेश जारी कर कार्यपालन यंत्री कॉलोनी सेलए लोक निर्माण वभाग श्री सुरेशचन्द्र व्यासए प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय श्री मोहम्मद हनीफ शेखए प्रभारी सहायक यंत्री वद्युत वभाग श्री एम.के. जैनए प्रभारी सहायक यंत्री लोक निर्माण श्री अनवर कुरेशीए उपयंत्री लोक निर्माण वभाग श्री राजेन्द्र मश्रा व उपयंत्री जलप्रदाय वभाग श्री सुहास प ं डत को उक्त कालोनी में वकास कार्य सीमेन्ट कांक्रीट रोडए पेवर ब्लॉकए सीवरेज पाईप लाईनए बगीचा का आन्तरिक वकास मय खेल उपकरणए सेप्टिक टैंकए ट्यूबवेलए होव्हर हेड टैंकए सम्पवेलए पेयजल पाईप लाईन कार्य आदिए इलेक्ट्रीक पोलए एलईडी स्ट्रीट लाईटए ट्रांसफार्मर आदि के समस्त आवश्यक कार्य कॉलोनाईजर द्वारा कौन-कौन से कतनी मात्रा में पूर्ण कये है कॉलोनी के अनुमोदित मान चत्र पर दर्शाये तथा शेष अधूरे कार्य साथ ही निगम में बंधक रखे गये भूखण्ड़ो की वर्तमान भौतिक स्थिति कॉलोनी के अनुमोदित मान चत्र पर दर्शाकर वस्तृत प्राक्कलन 15 सतम्बर तक प्रस्तुत कये जाने के निर्देश दिये।

जन षकायत निवारण ष वर का आयोजन आज नहीं होगा

रतलाम 10 सतम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा नागरिकों की नगर निगम से संब धत शकायतें सुनने एवं शकायतों के निराकरण हेतु नगर निगम सभागृह में जन शकायत निवारण श वर का आयोजन 11 सतम्बर शनिवार को नहीं होगा।

भैंसो व अन्य पषुओं के षेश बचे बाड़े व तबेले आज 11 सतम्बर को तोड़े जायेंगे

महाराणा प्रताप चौक से लोकेन्द्र भवन तक आज हटेंगे कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण

षहरी क्षेत्र से अब तक 26 भैंसो के तबेले हटाये

रतलाम 10 सतम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु निगम नगर निगम एक्ट के वरूद्ध नगरीय सीमा क्षेत्र में संचा लत भैंसो के तबेले व बाड़े हटाने के अ भयान के तहत तबेले संचालकों को अपने तबेले स्वंय तोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम द्वारा तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शेष बचे तबेले एवं बाड़े तथा महाराणा प्रताप चौक से लोकेन्द्र भवन तक के कच्चे व पक्के अतिक्रमण आज 11 सतम्बर शनिवार को तोड़े जायेंगे साथ ही संबं धतों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की रा श वसूल की जायेगी। नगर निगम द्वारा अब तक शहरी क्षेत्र से कुल 26 तबेलो को हटाया गया यह अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते है जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के वरूद्ध शहर में संचा लत गायए भैंसए सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयाव ध में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते है तो

उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रूपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की रा श वसूल की जावेगी।

तबेले हटाने की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी सर्वश्री वनय चौहानए करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए वार्ड दरोगा सहित निगम के स्वास्थ्यए लोक निर्माण वभाग अमले के साथ ही पु लस प्रशासन उपस्थित था।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 10 सतम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया क शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार फॉ गंग मशीन प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉ गंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया वभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक कया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए जिला मलेरिया अ धकारी डॉ0 प्रमोद प्रजापतिए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए श्री मनीष तिवारीए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहराए मलेरिया वभाग के सर्वश्री सुनील दुबेए लक्ष्मीनारायण भाटीए जालम संह परिहार आदि उपस्थित थे।

नो पा र्कंग मंे खड़े 10 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 10 सतम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो क अपने वाहनों को नो पा कंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बा धत करते हैए उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 10 सतम्बर सोमवार को नो पा कंग में खड़े 10 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबं धतों से जुर्माना वसूला गया।
निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 10 सतम्बर शुक्रवार को राम मंदिर व चांदनी चौक क्षेत्र में नो पा कंग में वाहन खड़ा करने पर अर्जून-गोपाल यादवए यशवंत-गोपाल पंाचालए अक्षत-महेश राठौरए छबीनाथ-गंगारामए नवीन-अ खलेश अग्रवालए राकेश-रतनलालए अ लशा-अग्यारए मसेस राव-मंजले रावए रामहित-धन्नालाल प्रजापति व पवन-राजकुमार यादव पर 200.200 रूपये का जुर्माना कया गया।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन
10 सतम्बर को 1 मट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा
रतलाम 10 सतम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 सतम्बर शुक्रवार को 1 मट्रिक टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
10 सतम्बर शुक्रवार को डम्पर व टेªक्टर से 60340ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24890ए काम्पेक्टर गीला 16950 कलो इस तरह कुल 102180 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1327 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा
स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 10 सतम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 10 सतम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1327 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 10 सतम्बर को कस्तुरबा नगर गली नम्बर 8 व 10ए कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डनए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
पथ वक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 सतम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह

द् वतीय कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ वक्रेताओं से अपील की जाती है क जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी रा श रूपये 10ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द् वतीय कार्यशील पूंजी रा श रूपये 20ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 10 सतम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 सतम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 सतम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक

पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/10ण09ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.